26/2/21

अ० प्रार्थी उप० नहीं। अभि० अप्रार्थी उप० है। प्रार्थी व उसके अभि० को बार बार आवाजें लगवाने पर भी उप० नहीं सो प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आज्ञा अन्तर्गत धारा में खारिज किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 30/8/2019 को भी अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर हर्ज नम्बर है। आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। संलग्न मूल वाद रहे।

Rudy